

## जिला बाल संरक्षण इकाई, बक्सर

**बालगृह, बक्सर के विभिन्न पद हेतु जारी मेधा सूची के आलोक में ससमय प्राप्त आपति/दावा पर चयन कमिटी के निर्णय के पश्चात स्वीकृत/अस्वीकृत दावाकर्ता की सूची :-**  
**आपति/दावा हेतु अंतिम तिथि 23.09.021 को (संख्या 05:00 बजे तक)**

क्र0	दिनांक/समय	आवेदक का नाम	पिता/पति का नाम	पद	आपति/दावा	दावा के पश्चात आवेदन की स्थिति	दावा/आपति स्वीकृत/अस्वीकृत
1	2	3	4	6	8	9	10
1	18-09-2021	संजू कुमारी	विजय कुमार	हेल्पर	दावाकर्ता द्वारा पति के नाम में नाम शुद्धि का अनुरोध किया गया है।	टंकण भूल का सुधार कर लिया गया है। (पति के नाम में सुधार कर लिया गया)	स्वीकृत
2	18-09-2021	राज कुमार शर्मा	विजय शंकर शर्मा	परामर्शी	दावाकर्ता द्वारा प्राप्त मेधा अंक निर्धारण के संबंध में जानकारी की मांग की गई है।	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में आपके उच्चतर योग्यता में 54.87 प्रतिशत अंक को कमिटी ने मान्य किया है एवं इसके 80 प्रतिशत को 43.9 प्रतिशत अधिमानता दी गई है। साथ ही आपका कूल अनुभव दो वर्ष (केवल पूर्ण वर्ष ही मान्य) ही है जो कि अनिवार्य अनुभव है। कमिटी द्वारा केवल प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की अधिमानता देना प्रावधानित है। अतः अतिरिक्त अनुभव में आपको कोई अंक प्रदान नहीं किया गया। <b>इस पद हेतु अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांक को 80 प्रतिशत अधिकतम अधिमानता, अनिवार्य अनुभव के अतिरिक्त प्रति वर्ष अतिरिक्त अनुभव के लिए 2.5 प्रतिशत, अधिकतम 10 प्रतिशत अधिमानता एवं साक्षात्कार को 10 प्रतिशत अधिमानता दी गई है।</b>	अस्वीकृत
3	19-09-2021	आकाश कुमार	अनिल कुमार मालवीय	बाल कल्याण पदाधिकारी	आपके द्वारा एक अन्य अभ्यर्थी के अधीक्षक एवं बाल कल्याण पदाधिकारी पद हेतु मेधा अंक में अंतर होने का दावा किया गया है। साथ ही उस अभ्यर्थी के अनुभव प्रमाण पत्र की सत्यता की जाँच की मांग की गई है।	आपके द्वारा एक अन्य अभ्यर्थी के अधीक्षक एवं बाल कल्याण पदाधिकारी पद हेतु मेधा अंक में अंतर होने का दावा किया गया है। कमिटी आपको अवगत कराना चाहेगी कि उक्त अभ्यर्थी के अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव में दिए गये अंक दोनों पदों हेतु समान है एवं कमिटी द्वारा साक्षात्कार में पदवार किए गये प्रदर्शन पर साक्षात्कार अंक प्रदान किये गये हैं। उक्त अभ्यर्थी द्वारा भेल के साथ-साथ निर्बंधित पोस्ट से भी दोनों पद यथा-अधीक्षक एवं बाल कल्याण पदाधिकारी हेतु आवेदन उपलब्ध करार गये थे जिससे उनकी पद हेतु योग्यता एवं अनुभव वर्ष प्रमाणित होता है। आपके द्वारा किसी अन्य अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है जो कि उस अभ्यर्थी के निजता का उल्लंघन है अतः आपके इस अनुरोध को कमिटी सर्व सम्मति से खारिज करती है।	अस्वीकृत
4	22-09-2021	वत्सिया देवी	ओम प्रकाश राम	सफाई कर्मी	आपके द्वारा चयनित सफाई कर्मी के उम्र 55 वर्ष से ज्यादा होने का दावा किया गया है	दावाकर्ता आवेदक द्वारा सफाई कर्मी के पद पर चयनित अभ्यर्थी की उम्र 55 वर्ष से ज्यादा होने का दावा किया गया है एवं एक साक्ष्य उपलब्ध करवाया गया है। चयन कमिटी संबंधित विभाग से साक्ष्य की सत्यता की जाँच के पश्चात ही निर्णय लेगी।	दावा चयन कमिटी के समक्ष साक्ष्य की पुष्टि होने तक विचारधीन है।
5	23-09-2021	रंजना कुमारी	मुकेश कुमार चौधरी	पारामेडिक	आपके द्वारा मेधा अंक में कार्य अनुभव के आधार पर अंक की मांग की गई है।	चयन में आपको अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में 69.26 प्रतिशत अंक दिया गया है (80 प्रतिशत की अधिमानता पर)। पारामेडिक के पद हेतु विज्ञापन में कोई अनिवार्य अनुभव की बाधता नहीं रखी गई है। चयन कमिटी द्वारा इस पद हेतु कार्यअनुभव हेतु कोई अंक अधिमानता नहीं दी गई है।	अस्वीकृत

क्र.	दिनांक / समय	आवेदक का नाम	पिता/पति का नाम	पद	आपत्ति/दावा	दावा के पश्चात आवेदन की स्थिति	दावा/आपत्ति स्वीकृत/अस्वीकृत
1	2	3	4	6	8	9	10
6		अमित कुमार मिश्रा		लेखापाल सह भण्डारपाल	दावाकर्ता ने दावा किया है कि बी0बी0ए0 को बी0कॉम के समकक्ष माना जा सकता है।	विभागीय निदेश के आलोक में बालगृह बक्सर में लेखापाल सह भण्डारपाल की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता बी0कॉम है। तथापि चयन कमिटी ने यह निर्णय लिया है कि बी0बी0ए0 को उक्त पद हेतु बी0कॉम के समकक्ष माना जाय या नहीं इसका निर्णय विभागीय निदेश के आलोक में किया जाय। (विभागीय मार्गदर्शन अभी तक अप्राप्त है।)	दावा चयन कमिटी के समक्ष विभागीय मार्गदर्शन की प्रत्याशा में विचारधीन है।

नोट :- दिनांक 08.09.2021 को चयन समिति के द्वारा जारी मेधा सूची पर अभ्यर्थियों से निर्देशित माध्यमों से 23.09.2021 संख्या 05:00 बजे तक दावा/आपत्ति समर्पित करने हेतु सूचना जारी की गयी थी।  
निर्धारित समय सीमा में प्राप्त दावा/आपत्ति का चयन समिति द्वारा निराकरण किया गया जिसकी विवरणी उपरवर्णित है। अब किसी भी अभ्यर्थी का किसी भी प्रकार का दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

प्रमारी सहायक निदेशक  
जिला बाल संरक्षण इकाई  
बक्सर

23/09/21